



महिलाओं के विरुद्ध हिंसा :- कारण और प्रभाव

अंजू रानी (रिसर्च स्कॉलर)

समाजशास्त्र विभाग,
ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल वि.वि. हिसार, हरियाणा

डॉ. दीपिका देशवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल वि.वि., हिसार, हरियाणा

सारांश

महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध आज के समय में कोई नई बात है। नारी प्राचीन काल से ही उत्पीड़ित रही है। उसके प्रति होने वाली हिंसा घर की चहारदीवारी से पुरुष होकर उसके कार्यक्षेत्र तथा समाज में हर क्षेत्र में व्याप्त है। महिलाएं न तो घर में सुरक्षित हैं और न घर के बाहर। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा और अपराध आज आम बात हो चुकी है। उसके प्रति होने वाली घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, मार-पीट, ताने देना, गाली-गलौच, सबके सामने अपमानित करना आदि शामिल है। घर के बाहर होने वाले अपराधों में छेड़छाड़ (सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बस, रेलगाड़ी आदि में) बलात्कार, अपहरण, एसिड अटैक आदि शामिल है। इन सबके पीछे पुरुष प्रधानता, संकीर्ण सोच तथा अधिकांश अपराधों में अशिक्षा आदि प्रमुख कारण है। इस प्रकार की हिंसा और अपराध के प्रभाव बहुत घातक है जो नारी मन तथा बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी हस्तक्षेप तथा संरक्षण अनिवार्य है।

संकेत शब्द :- घरेलू हिंसा, अपराध, दहेज हत्याएं, पुरुष प्रधानता, अधिकांश, कानूनी हस्तक्षेप।

प्रस्तावना :-

आज विज्ञान एवं तकनीकी का युग है, हर क्षेत्र तक नई तकनीकी की पहुँच विकसित हुई है। लोग प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं से ऊपर उठकर इस नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। परंतु महिला और पुरुषों की समानता के बारे में उनके विचार ज्यों के त्यों बने हुए हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा समाज की संकीर्ण सोच का परिणाम है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं।

1. **पुरुष प्रधानता :-** भारत में ही नहीं वरन् लगभग विश्व के सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती। पुरुष शक्ति का प्रतीक माना जाता है, पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति व पुरुषत्व को स्थापित एवं साबित करने पर नारी पर अत्याचार करता है।
2. **महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता :-** भारत देश में महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। पति ही पत्नी का भरण-पोषण करता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को पति के अत्याचार जैसे (मारपीट, गाली-गलौच) आदि सहन करने पड़ते हैं। यदि पति या सुसराल पक्ष उसे घर से निकाल दे तो वह बेसहारा हो जाती है तथा जीवन-यापन में कठिनाइयां सामने आती हैं।
3. **अशिक्षा :-** भारत में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 65.46% है तथा पुरुषों में 82.14 % है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे यह भी नहीं जानती कि उनके अधिकारों के लिए कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चहारदीवारी में अत्याचार सहने पर मजबूर करती है।
4. **सामाजिक कुप्रथाएं :-** भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं जैसे बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, दहेज-प्रथा, विधवा-विवाह अभाव आदि प्रमुख हैं जो महिलाओं के प्रति अत्याचार का कारण बनती हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार केवल महिलाएं एवं बालिका ही होती हैं।
5. **पारिवारिक तनाव :-** पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों का प्रमुख कारण है। पति-पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों में आपस में सामंजस्य नहीं होता तथा विचारों में अंतर होता है तब पुरुष अपने विचारों को भी पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है तथा पत्नी पर विरोध करने पर उस पर अत्याचार करता है।
6. **नशा :-** वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं वे नशे के दौरान अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार के कई मामलों में पाया गया है कि बलात्कारी नशे में था। पति शराब पीकर जब आता है और पत्नी से कहा-सुनी हो जाती है तब भी वह पत्नी पर अत्याचार करने लगता है।
7. **अपराधों के प्रति निष्क्रियता :-** कई बार देखने में आया है कि अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराधों को चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हैं, वे इन अपराधों के प्रति कहीं पर भी पुलिस या न्यायलयों की शरण में नहीं जाती। ऐसी स्थिति में अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता। उन्हें पता होता है कि जिनके प्रति हिंसात्मक रवैया अपना रहे हैं वे एकदम निष्क्रिय हैं। अर्थात् औरतों की सहनशीलता भी अपराधों को बढ़ाने में सहायक हुई है।

घरेलू हिंसा के प्रभाव :- सभ्य समाज में हिंसा का कोई भी स्थान है। लेकिन प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वे सब चिंता का विषय हैं। हमारे देश में बंद दरवाजों के पीछे अर्थात् अपने ही घर में अपनों ही के द्वारा कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। यह कार्य केवल ग्रामीण इलाकों में ही नहीं वरन्

गहरी इलाके क्षेत्र, कस्बे तथा महानगरों में भी खूब हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक विरासत बनती जा रही है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा घरेलू हिंसा से होने वाले प्रभावों तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया है तथा घरेलू हिंसा किन-किन पहलुओं को प्रभावित करती है। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:—

1. यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति अर्थात् पीड़ित को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
2. घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या किस अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला सब जगह स्वयं को दबा हुआ—सा पाती है। उसकी मानसिक स्थिति में द्वन्द्व की भावनाएं रहती हैं। वे न ही स्वयं कोई निर्णय लेने में सक्षम होती हैं।
3. घरेलू हिंसा की सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि जिन लोगों पर अत्यधिक भरोसा होता है जो सबसे ज्यादा करीबी होते हैं जिनके साथ पीड़िता का सीधा संबंध होता है। जिनके साथ वे हमेशा रहती हैं। जब वही आदमी इस तरह से हिंसक व्यवहार करता है, गाली—गलौच, मार—पीट, धक करना, अपमानित करना आदि व्यवहार से रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और पीड़िता स्वयं को अकेली कर लेती है। कई बार इस स्थिति में पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है।
4. घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि बच्चे कोमल स्वयं संवेदनशील होते हैं। उनके सामने जो भी व्यवहार किया जाता है। बचपन से ही वह उनके मन गहरी या अमिट छाप छोड़ता है। बच्चों पर किए गए शोध की रिपोर्ट से पता चला है कि जिन बच्चों ने अपने घरों में घरेलू हिंसा देखी अथवा वे घरेलू हिंसा के शिकार हुए हैं इसका उनके मस्तिष्क पर कठोर आघात पहुँचता है। सीटी स्कैन जैसी रिपोर्ट में शामिल परिणामों में यह पाया गया कि घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों के मस्तिष्क का 'कार्पस कोलोसम' और हिप्पोकैम्पस नामक भाग संकुचित होता है। जिससे उनके 'अधिगम अक्षमता' जैसे सीखने क्षमता, लिखने—पढ़ने की क्षमता, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विनियम की शक्ति प्रभावित हो जाती है। जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता।
5. कई बार देखने में आया है कि बालक कई बार अपने पिता द्वारा माता के प्रति गुस्सेल व अक्रामक व्यवहार को देखकर स्वयं भी ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। कई बार इस तरह के व्यवहार को जानवरों के प्रति या सहपाठियों के प्रति करते हैं। धीरे—धीरे वे अन्य अपराधिक गतिविधियों की तरफ रुख करके स्वयं जीवन के प्रति बहुत बड़ा धोखा करके जीवन जीते हैं लेकिन जब तक वे सोचने—समझने लायक होते हैं तब तक वह स्वयं को एक अपराधी प्रवृत्ति से लैस पाते हैं। अतः इस प्रकार की घटनाओं

से अपराध को बढ़ावा मिलता है।

6. घरेलू हिंसा की शिकायत बालिकाओं का जीवन भी सामान्य से भिन्न होता है। वे ज्यादातर नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं। वे प्रायः दबू चुपचाप रहने वाली बन जाती हैं। घरेलू हिंसा को देखकर बढ़ी होने वाली बालिकाएं आजादी के लिए छटपटाती हैं। वे किन्हीं गलत व्यक्तियों के संपर्क में आकर अपना स्वयं का जीवन भी नरक बना लेती हैं तथा ऐसे दलदल में फंसी जाती हैं। जहाँ से निकलना काफी मुश्किल होता है।
7. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि घरेलू हिंसा की शिकायत महिलाएं सामाजिक जीवन की गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। वे स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं। स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। यहाँ तक कि समाज से मेल-जोल न के बराबर होता है। घर में बच्चे तक उस पीड़िता की बातों को नहीं सुनते हैं। वह स्वयं को घर-परिवार और समाज से कटा हुआ पाती है।

साहित्यिक समीक्षा

खण्डेला बी.सी. (महिला उत्पीड़न : 2004) ने महिला उत्पीड़न के कारण तथा निवारण पर प्रकाश डालते हुए आधुनिकरण की विकृति को महिला उत्पीड़न तथा हिंसा का प्रमुख कारण माना है। आपके अनुसार भारतीय समाज में आधुनिक नारी के पहनावे के भड़काऊ व नग्नवाद, व्यवहार में बनावटीपन संबंधों में स्वार्थीपन, बोलने में अंग्रेजीपन आदतों से पश्चमीकरण तथा परम्परा के विरोध स्वरूप लिया जाता है जो आधुनिकता की विकृति है जबकि आधुनिकता, विचारों की परिपक्वता, प्रगतिशील चिंतन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संबंधों में तार्किकता एवं वस्तुनिष्ठता से संबंधित है। भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न, विकृतिपूर्ण आधुनिकता, व्यावहारिक विसंगतियों, दरिद्र जीवन, देह व्यापार के बदलते स्वरूप, बाल विवाह, देह प्रदर्शन तथा नग्नवाद के परिणाम हैं।

राव ज्ञानेन्द्र (औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : 2005) – आपने भारत में महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों एवं दायित्वों, उसकी हैसियत व नारी आन्दोलनों के विविध आयामों से संबंधित प्रमुख लेखकों, समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों व पत्रकारों के विचार संकलित किए हैं। भारतीय नारी की स्थिति के यथोचित मूल्यांकन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह संपादित पुस्तक महत्वपूर्ण व उपयोगी है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सन्दर्भ में देवकी नंदन मिश्रा और उत्पीड़ित शिवांगी द्विवेदी का लेख "परिवार में ही उत्पीड़ित है महिलाएँ" महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के परिप्रेक्ष्यों में तथ्यपरक जानकारी प्रदान करते हैं।

पटेल, अनीता (महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक : 2002) ने अपने शोध लेख में घरेलू हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में घरेलू हिंसा से जनित परिवेश के नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट किया है। इस लेख में स्त्री के प्रति घटित हिंसा में पति, जेठ, देवर, ससुर के अतिरिक्त सास, जिठानी, ननद, देवरानी अर्थात् पुरुषों के साथ महिलाओं को भी उतरदायी बताया गया है। आपके अनुसार स्त्री को विषय तथा विपरीत परिस्थितियों में सम्पूर्ण शारीरिक

एवं भावनात्मक साहस के साथ अनुकूल तथा विवेकपूर्ण निर्णय ले भले ही वे कड़वे घूँट ही क्योंकि न हो, इससे महिला उत्पीड़न का सिलसिला थमेगा।

अग्रोहा, सुरभि (ग्रामीण विवाहित महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा 2009) ने अपने अध्ययन में जो कुल 50 दम्पतियों पर आधारित है, में पाया है कि (1) 35% ग्रामीण दम्पतियों में घरेलू हिंसा प्रायः अकारण ही होती है। (2) 70% अनुसूचित जाति के परिवारों में पारिवारिक हिंसा, मारपीट का ताण्डव प्रायः देखा गया लेकिन गंभीर चोट लगना नहीं पाया गया। (3) 22 से 40 वर्ष के पति-पत्नी के बीच मारपीट ज्यादा देखी गई है। (4) उच्चशिक्षित तथा सेवारत पति अपनी पत्नी को नहीं पीटते (5) आत्म-निर्भर/सेवारत पत्नियों के पीटने की संभावना न्यूनतम होती है। (6) पीटने वाली स्त्रियों की आदत भी हो जाती है इसलिए वे न तो मायके शिकायत करती है और न ही पुलिस थाने में।

सक्सेना मंजूलता (विवाहित महिलाएं तथा पारिवारिक हिंसा : 2010) ने अपने लेख में पति की अहम् भावना, अधिकार तथा प्रबलता की प्रवृत्ति, पति में शकपन की भावना, पति की बात पत्नी द्वारा न मानना, परिवार की अन्य महिलाओं, सदस्यों के प्रति झगड़े, पति का शराबी होना, घरेलू व अन्य कार्य पति की इच्छानुसार न करने से महिलाओं का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह होना आदि कारण शामिल है जो पुरुष द्वारा घरेलू हिंसा का कारण बनते हैं।

सूव रीता (1991) : रीता ने दिल्ली के जवाहर लाल विद्यापीठ में विभिन्न सेवारत महिलाओं के पारिवारिक जीवन के समायोजन के प्रतिमानों का अध्ययन करने से उनके अध्ययन का सार तत्त्व यह है कि महिलाओं की स्थिति को उन्नत बनाने में न केवल शिक्षा या सेवा योजन की महत्वपूर्ण भूमिका है बल्कि यह भी स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों का उनके समायोजन में क्या महत्व है।

ललिता देवी (1982) ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि महिला के सेवा योजन का महत्व उन तमाम क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिनमें प्रथा परम्पराओं के अनुरूप भूमिका को निर्धारित किया गया है, जिनमें प्रथा परम्पराओं के अनुरूप भूमिका को निर्धारित किया गया है।

उपकरण व शोध विधि :- प्रस्तुत शोध में दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अन्तर्गत नजफगढ़ इलाके को अध्ययन के रूप में चुना गया है। इस क्षेत्र के लगभग 500 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें से लगभग 200 महिलाओं तथा उनके परिवारों के सदस्यों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार से पहले अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक विधि द्वारा समस्या से संबंधित आँकड़ों को एकत्रित किया गया है तथा आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करके साक्षात्कार के लिए उत्तरदाताओं को तैयार किया गया।

उद्देश्य :-

1. महिला के प्रति होने वाले अपराधों के पीछे वास्तविक कारणों का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के बच्चों एवं महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

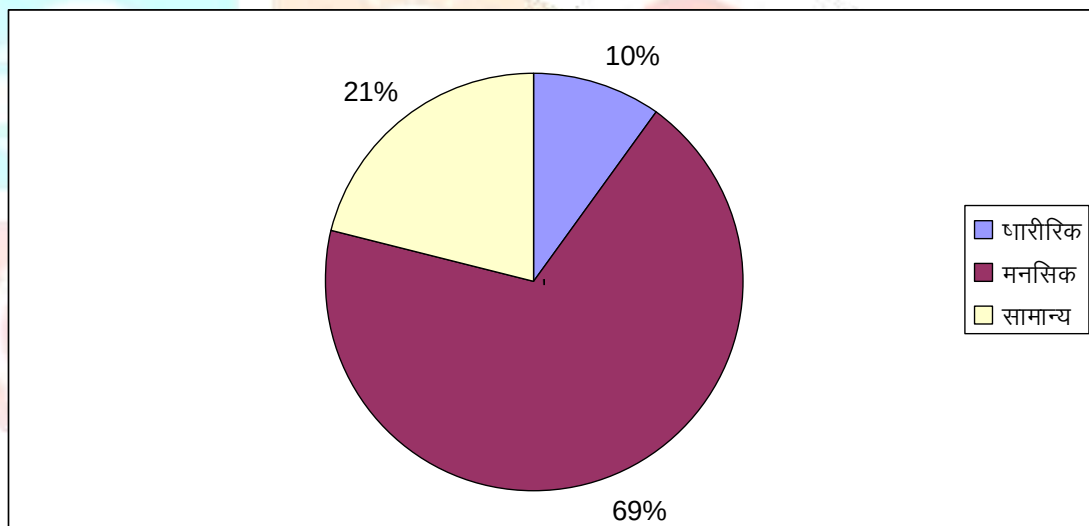
परिणामों की व्याख्यात्मक विश्लेषण –

घरेलू वातावरण एवं बाहरी वातावरण में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण एवं प्रभाव का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

सारणी-1

बच्चों को प्रभावित करने वाले स्वरूप

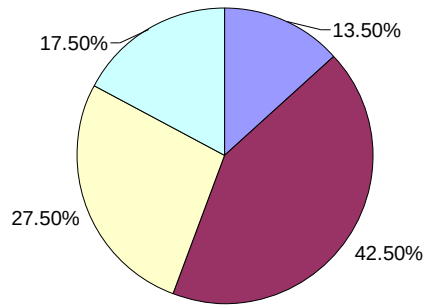
बच्चों पर प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
षारीरिक	20	10%
मनसिक	138	69%
सामान्य	42	21%
कुल योग	200	100%



सारणी-2

परिस्थितियों का प्रभाव

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
दहेज यातनाएं	27	13.5%
षारीरिक प्रताड़ना	85	42.5%
भावनात्मक प्रताड़ना	53	27.5%
लैंगिक दुर्व्यवहार	35	17.5%
कुल योग	200	100%



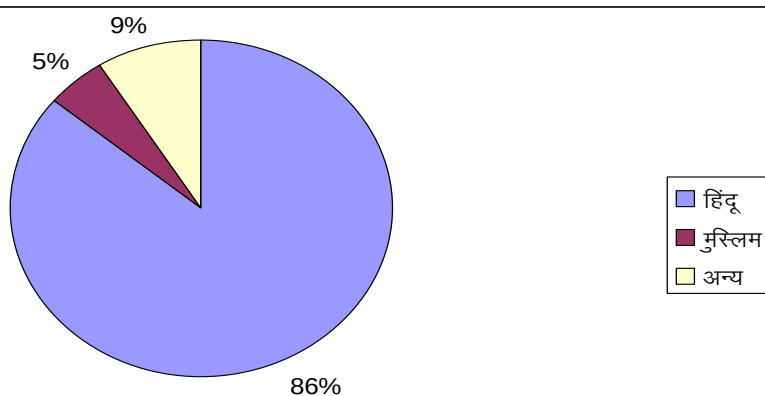
दहेज यातनाएं भौतिक प्रताड़ना भावनात्मक प्रताड़ना लैंगिक दुर्यवहार

प्रस्तुत सारणी को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। साक्षात्कारदात्रियों के उत्तरों को शामिल करते हुए शोधकर्त्री ने वास्तविक आँकड़े जुटाए हैं। इनमें दहेज प्रताड़ना के 27 महिलाएं शिकार थीं जो कुल संख्या का 13.5% थीं। भौतिक प्रताड़ना में 85 महिलाएं जो कुल संख्या का 42.5% हैं। भावनात्मक प्रताड़ना की शिकार 53 महिलाएं 27.5% कुल संख्या का हैं। लैंगिक दुर्यवहार की 35 महिलाएं शिकार थीं जो कुल संख्या का 17.5% हैं।

प्रस्तुत आँकड़ों से यह बात सामने आई है कि किसी भी वर्ग की महिला चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ी-लिखी है, किसी न किसी प्रकार की हिंसा से प्रताड़ित है, वे अत्यन्त उत्पीड़ित हैं तथा अपनों द्वारा सताई हुई हैं।

सारणी संख्या-3 पीड़ित महिलाओं का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण

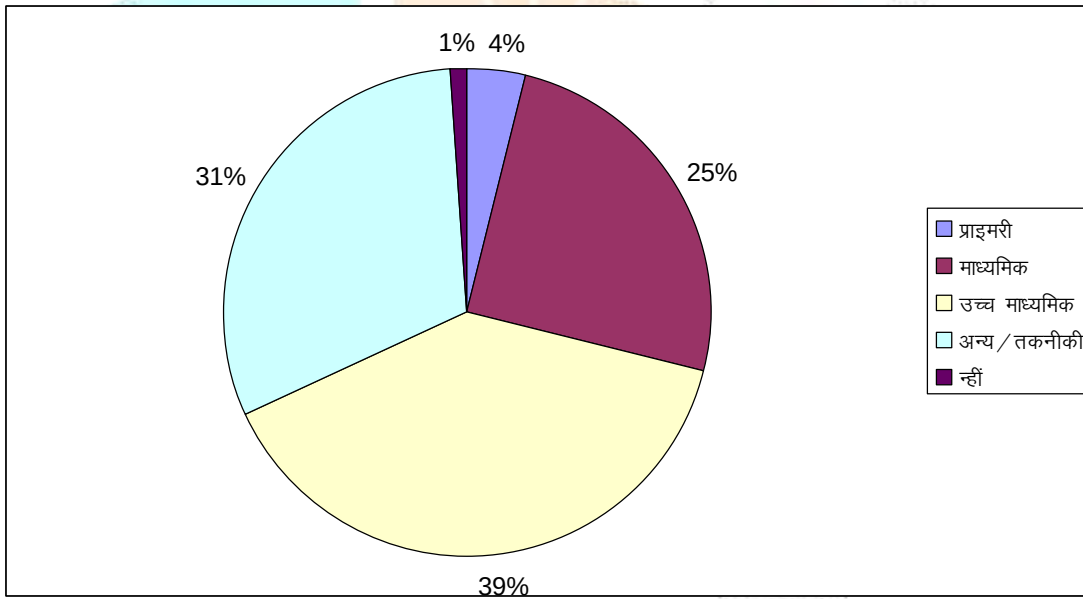
धर्म	संख्या	प्रतिशत
हिंदू	172	86%
मुस्लिम	10	5%
अन्य	18	9%
कुल योग	200	100%



सारणी संख्या 3 के अध्ययन से पाया गया कि हिंदू पीड़ित महिलाओं की संख्या 85% थी जबकि मुस्लिम में केवल 10% महिलाएं और अन्य में 9: महिलाएं घरेलू हिंसा के मामलों से पीड़ित थीं।

सारणी-4
घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
प्राइमरी	08	4%
माध्यमिक	50	25%
उच्च माध्यमिक	78	39%
अन्य / तकनीकी	62	31%
नहीं	02	1%
कुल योग	200	100%



सारणी संख्या-4 के अध्ययन से पता चला कि उत्तरदाताओं में 8 महिलाएं केवल प्राइमरी लेवल तक शिक्षित थीं। लेकिन माध्यमिक और व.मा., तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों की शिक्षित महिलाएं भी अपराधों की शिकार हैं। पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी वे विरोध नहीं कर पा रही हैं।

संदर्भ समूह

1. मध्यानन्द स्वामी एण्ड मजूमदार : ग्रेट वुमेन ऑफ इण्डियाज् 1953
2. मजूमदार ए.के. : रेसेज एण्ड इण्डियन्स, 1972
3. डॉ. धर्मकीर्ति : मनु बनाम लादेन, परममित्र पब्लिकेपन्स प्रकाशन, दिल्ली
4. प्रकाश नटाणी नारायणी : भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा।
5. आचार्य रोहित : नारी शिक्षा, दलित साहित्य, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
6. राम आहुजा : समाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेपन्स, जयपुर-2002
7. मेनन एल. : वुमेन इन इण्डिया एण्ड अंब्राड तारा अभी बेग (सं.) वीमेन ऑफ इंडिया, दिल्ली पब्लिकेपन्स इंडिया डिविजन
8. हेजल.डी. : भिमावोमोषन लोकल गवर्नमेंट दिल्ली कॉन्सेप्ट, पब्लिशिंग हाउस
9. जैन, मंजू : कार्यशील महिला एवं सामाजिक मुद्दे, रूपा, बुक्स प्रा. लि., प्रिन्टवैल जयपुर
10. गुप्ता मोतीलाल : भारत में समाज, राष्ट्रीयकरण, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
11. नारायणी, प्रकाश नारायण : महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन, जयपुर, 2006

